कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,

(शासकीय स्वशासी संस्था)

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. : 07662-241655 ई-मेल : ssmc-rewa@mp.gov.in

फैक्स नं. : 07662-251167 वेबसाइट : www.ssmcrewa.com

क्रमांक/ 2853 /पैरामेडि./एम.सी./2021 रीवा, दिनांक : 10/02/2021

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु विज्ञापन (द्वितीय चरण)

स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये विभिन्न स्ववित्तपोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 03 एवं 04 फरवरी, 2021 को सम्पन्न काउंसिलिंग के पश्चात विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यार्थियों से पुनः आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

I. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्त्वपूर्ण तिथियां :-

आवेदन प्रारम्भ की तिथि	10 फरवरी 2021
आवेदन की अंतिम तिथि	18 फरवरी 2021 को सायं 05:00 बजे तक
काउंसिलिंग की तिथि	24 फरवरी, 2021
काउंसिलिंग स्थल	डॉ. डी.एन.एस. चौधरी हॉल, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

II. प्रथम काउंसिलिंग पश्चात रिक्त रही सीटों का विवरण :-

क्र.	पाठ्यक्रम	कुल रिक्त सीट	विभागीय रिक्त						ओपन रिक्त						
			Total Seat	ST	SC	OBC	EWS	UR	Total Seat	ST	SC	OBC	EWS	UR	PWD
1	MICROBIOLOGY (DIPLOMA)	**21**	02	01	00	00	00	01	**19**	05 (F-1)	-	02 (F-1)	02 (F- 1)	09 (F-3)	UR-0
2	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT (DIPLOMA)	**43**	04	01	01	-	00	02	**39**	08 (F- 2)	07 (F-2)	01 (F-1)	04 (F-01)	17 (F- 05)	UR-01 RES.-0
3	X-RAY (RADIOGRAFER) TECHNICIAN (DIPLOMA)	**28**	04	01	01	-	00	02	**24**	02	05 (F- 01)	-	02	13 (F- 04)	UR-01 RES.-01
4	GAMMA CAMERA TECHNICIAN (DIPLOMA)	**08**	01	00	00	00	00	01	**07**	02	-	-	01	04 (F- 01)	-
5	P.G. DIPLOMA IN PERFUSION TECHNOLOGY (P.G. DIPLOMA)	**01**	00	00	00	00	00	-	**01**	-	01	-	-	-	-
6	ORTHO. TECHNICIAN (CERTIFICATE)	**17**	02	00	00	00	00	02	**15**	03 (F-1)	03 (F-1)	02 (F- 1)	02	05 (F- 02)	-
7	E.C.G. TECHNICIAN (CERTIFICATE)	**16**	02	00	00	00	00	02	**14**	04 (F- 1)	01	02 (F- 1)	01	06 (F- 02)	-
8	ANAESTHESIA TECHNICIAN (CERTIFICATE)	**02**	00	00	00	00	00	-	**02**	01	-	-	01	-	-
9	ULTRA SOUND TECHNICIAN (CERTIFICATE)	**03**	01	00	00	00	00	01	**02**	01	-	-	01	-	-
10	HOSPITAL MEDICAL RECORD SCIENCE (CERTIFICATE)	**09**	01	00	00	00	00	01	**08**	02	01	01	01	03 (F- 01)	-
11	HEALTH INSPECTOR (CERTIFICATE)	**09**	01	00	00	00	00	01	**08**	02	01	01	-	04 (F- 01)	-

क्रमशः ... 02

III. प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण :-

पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
2 वर्षीय डिप्लोमा	46,530 (रू. 41,530/- शैक्षणिक शुल्क + रू. 5,000/- सुरक्षा निधि)	रू. 41,530/-
1 वर्षीय प्रमाणपत्र	35,000 (रू. 30,000/- शैक्षणिक शुल्क + रू. 5,000/- सुरक्षा निधि)	-

IV. शैक्षणिक योग्यता :-

c) छात्र को 10+2 पद्धति से हायर सेकण्ड्री भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनारक्षित एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 33 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा।

d) P.G. DIPLOMA IN PERFUSION TECHNOLOGY (P.G. DIPLOMA) हेतु आवेदक को विज्ञान (Chemistry, Botony & Zology) विषय में स्नातक परीक्षा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

V. अन्य नियम एवं शर्ते :-

1. <u>**आवदेन शुल्क :-**</u> आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थी रू. 500/- तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रू. 300/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि "CEO & Dean, S. S. Medical College, Rewa" के नाम देय हो जमा करना होगा। बिना आवेदन शुल्क के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन पत्र सीधे अथवा स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से कार्यालय अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात जमा किये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 03 एवं 04 फरवरी को सम्पन्न काउंसिलिंग हेतु पूर्व में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं अथवा किसी भी कोर्स का चयन नहीं किया है। वह अभ्यर्थी भी दिनांक 24.02.2021 को सम्पन्न होने वाली काउसिलिंग में भाग ले सकेंगे।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिनको दिनांक 03 एवं 04 फरवरी को सम्पन्न काउंसिलिंग में पाठ्यक्रम आवंटित किये जा चुके हैं उन्हें काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं है।
5. प्रवेश की अन्तिम तिथि दिनांक 27.02.2021 निर्धारित है।
6. आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2020 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
7. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 05 जुलाई 2017 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।
8. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. आवेदक को काउंसिलिंग में उपस्थिति होने के लिये रू. 5000/-(पांच हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो कि "CEO & Dean, S. S. Medical College, Rewa" के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट के अभाव में आवेदक काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। सीट आवंटित ना होने की स्थिति में ड्राफ्ट उम्मीदवारों को वापस कर दिया जावेगा। सीट आवंटन के पश्चात शेष शैक्षणिक शुल्क 07 दिवस के अंदर ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से जमा करनी होगी ऐसा न होने की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई राशि रू. 5000/- (पांच हजार) वापस नहीं की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवेदक की होगी।

क्रमशः ... 03

12. सभी पाठ्यक्रमों के लिये एक ही आवेदन-पत्र, जिसका प्रारूप दिया गया है, देय होगा। पाठ्यक्रम का आवंटन आवेदक के हायर सेकण्ड्री (10+2) के कुल प्राप्त अंक की मैरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा। अंक समान होने की स्थिति में उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जायेगी। यदि अंक एवं उम्र समान पायी जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले का वरीयता दी जाएगी। पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन हेतु मेरिट का निर्धारण स्नातक की अंकसूची के अंकों के आधार पर किया जावेगा।
13. स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत सेवारत कर्मचारियों के लिये शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेंगी।
15. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए म.प्र. राज्य के मूलनिवासी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जाएगा।
16. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट-कम-आप्शन के आधार पर काउंसिलिंग की जायेगी :-

    2. एस.टी. श्रेणी 2. एस.सी. श्रेणी 3. ओ.बी.सी. श्रेणी 4. अनारक्षित श्रेणी

यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है :-

a) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
b) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
c) अगर एस.टी. और एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
d) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

17. जिस पाठ्यक्रम में 03 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।
18. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है जिसका पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
19. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय रीवा होगा।
20. प्रवेश के समय स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। तथा काउंसिलिंग के समय जमा राशि रू. 5,000/- (पांच हजार) मात्र वापिस नहीं की जावेगी। छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क पृथक से देय होगा।
21. प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अभिभावक के आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः ... 04

22. काउंसिलिंग दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:00 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 10 पासपोर्ट साइज फोटो (जो आवेदन पत्र में चस्पा की गई हो) लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी:-

I. 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु) तथा प्रमाण पत्र

II. 12वीं की अंकसूची(भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)/स्नातक की अंक सूची (पी.जी. डिप्लोमा हेतु)

III. स्थानांतरण प्रमाण पत्र

IV. माइग्रेशन प्रमाण पत्र

V. जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)

VI. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2020-21 का)

VII. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

VIII. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

IX. 10 पासपोर्ट साइज फोटो।

X. शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

संलग्न :- आवेदन-पत्र का प्रारूप

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)